POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 12.06.2024

1.थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 महिलाओं सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कोर्पियो गाड़ी व अन्य सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.06.2024 को थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 महिलाओं सहित 06 अभियुक्त 1.राज चौधरी उर्फ हसीन मौहम्मद पुत्र नूचन्द उर्फ नूर मौहम्मद 2.भुपेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह 3.फैजान अहमद पुत्र अफाक अहमद 4.राहुल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार 5.संजना यादव पुत्री प्रमोद कुमार यादव 6.रिफा उर्फ रूस्तम पुत्री राजूहसन को परीचौक गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों रजिस्टेशन नं0 डीएल 7 सी.वी 0893 रंग काला, 05 आधार कार्ड अलग-अलग नाम पतों के, 04 एटीएम कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड, आरसी कार्ड बरामद हुए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 10.06.2024 को अभियुक्तों द्वारा अपनी महिला मित्र रीफा के जरिये असादुर रहमान निवासी मुरादाबाद को अपने जाल मे फंसाकर पी-3 गोल चक्कर के पास बुलाया था। असादुर रहमान अपने मित्र निजाम के साथ रिफा से मिलने पी-3 गोल चक्कर पर षडयन्त्र में फंसकर आया था। अभियुक्ता रिफा ने इस बात की जानकारी अपने सह-अभियुक्तों को दी कि 02 गुर्गे फंस गये है, मास्टरमाइंड राज चौधरी योजना के तहत अपनी स्कार्पियो गाड़ी से अपने साथियों संजना यादव, भूपेन्द्र सिंह, फैजान अहमद व राहुल कुमार के साथ पी-3 गोल चक्कर के पास बने बस स्टाप पर आया एवं अपनी स्कोर्पियो गाड़ी से उतरकर अभियुक्त असादुर रहमान की गाड़ी में बैठ गये एवं असादुर रहमान की गाडी में रिफा व निजाम को भी बैठा लिया और अभियुक्तों ने असादुर रहमान व उसके मित्र निजाम को उसकी गाड़ी में ही बंधक बनाकर गाली गलौज व मारपीट कर असादुर रहमान से पांच लाख रुपये मांगे थे न देने पर बलात्कार के झूठे मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी व दबाव में आकर डर के कारण असादुर रहमान ने अपनी गाड़ी मे रखे 50,000 रुपये अभियुक्तों को दिये थे।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पीड़ित/वादी असादुर रहमान के द्वारा थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 220/24 धारा 323/504/342/384/120बी भादवि अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.06.2024 को घटना में शामिल अभियुक्तों को परीचौक गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में करीब 20 दिन पहले भी सेक्टर-135 नोएडा मे एक फार्म हाउस के पास एक व्यक्ति से इसी तरह की घटना को अंजाम दिये जाने की बात को कबूल किया है। अभियुक्तों का एक हनी ट्रैप गिरोह है जिसका मास्टर माइंड राज चौधरी है। अभियुक्त, अपनी महिला मित्रों से जनता के व्यक्तियों को मोबाइल फोन के माध्यम से अपने जाल में फंसाकर उन्हें बलात्कार के झूँठे मुकदमे में फंसाने की धमकी व मारपीट कर अवैध धन की उगाही करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राज चौधरी उर्फ हसीन मौहम्मद पुत्र नूचन्द उर्फ नूर मौहम्मद निवासी अम्रपाली लेजर पार्क, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर मूल पता गाँव रौहना थाना सदर जिला आगरा।
2. भुपेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी ग्राम बहरौली अहीर थाना मलपुरा जिला आगरा।
3. फैजान अहमद पुत्र अफाक अहमद निवासी मौहल्ला मनिहारान थाना कारल जिला मैनपुरी।

4. राहुल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी कबीरगंज थाना कोतवाली शहर जिला इटावा।
5. संजना यादव पुत्री प्रमोद कुमार यादव निवासी गाँव नगला मोतीराम थाना बखेहाबाद जिला इटावा वर्तमान पता पीजी, सेक्टर-62 नोएडा।
6. रिफा उर्फ रूस्तम पुत्री राजूहसन निवासी ग्राम भिन्डोरा थाना बिसातगंज जिला बरेली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 220/24 धारा 323/504/342/384/120बी/467/468 भादवि व धारा 34 आधार कार्ड अधिनियम थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. स्कार्पियो रजिस्टेशन नं0 डीएल 7 सी.वी 0893 रंग काला
2. 05 आधार कार्ड अलग-अलग नाम पतों के
3. 04 एटीएम कार्ड
4. इनकम टैक्स कार्ड
5. आरसी कार्ड न0-डीएल 7 सी.वी 0893

2. SWAT टीम, थाना फेस-2 पुलिस व सीडीटी टीम द्वारा लूट की झूठी योजना बनाकर पैसे गबन करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गबन के 38 लाख 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कूटी व एक मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11.06.2024 को डायल-112 पर कॉलर अशोक द्वारा सूचना दी गई कि बाइक सवार अभियुक्त उनका बैग छीनकर भाग गये है, इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये SWAT टीम, थाना फेस-2 पुलिस व सीडीटी टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता व आस-पास के कैमरों को चेक करते हुए उक्त घटना झूठी पायी गयी और **दिनांक 12.06.2024** को अभियुक्त 1-अशोक कुमार पुत्र हरिशंकर 2-सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र देवी प्रसाद पाण्डेय 3-सिकन्दर पुत्र बिन्द्रावन को बायोडायवर्सिटी पार्क गेट नं0-01 के पास सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 38 लाख 50 हजार रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट, एक मोटरइसाइकिल बरामद हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त अशोक कुमार व सुनील कुमार पाण्डेय मोटरसाइकिल रजि0नं0 डीएल 4 एस.डी.क्यू 8927 से 38 लाख 50 हजार रूपये का पैमेन्ट एक बैंग में लेकर दिल्ली से परीचौक नोएडा हाईवे से जा रहे थे, इतना पैसा देखकर इन लोगो के मन में लालच आ गया था और इन लोगो ने अपने साथी सह अभियुक्त सिकन्दर को यह बताया तो वह भी राजी हो गया और फिर तीनो नें साथ मिलकर अपने मालिक के पैसे को गबन किये और पुलिस व मालिक को लूट की झूठी सूचना दे दी गयी थी। प्लानिंग के तहत ही अभियुक्तों द्वारा सेक्टर-93 कट हाईवे पर पैसो से भरा हुआ बैंग सिंकन्दर को दे दिया था और आगे चलकर पैसो के लूट की झूठी सूचना पुलिस व मालिक को दे दी थी और सिकन्दर फर्जी नम्बर प्लेट की स्कूटी से पैसे लेकर बायोड्राइवरसिटी पार्क चला गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 38 लाख 50 हजार रूपये, घटना में प्रयुक्त स्कूटी व मोटरसाइकिल को बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अशोक कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी गांव गोहना थाना लालगंज जिला रायबरेली वर्तमान पता रोहणी सै0-20 दिल्ली उम्र-35 वर्ष।

2. सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र देवी प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम पलिया गोलपुर थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर वर्तमान पता मुंडिका रानी खेडा थाना नागलोई दिल्ली उम्र 38 वर्ष।
3. सिकन्दर पुत्र बिन्द्रावन निवासी ग्राम गुरु का पुरवा, थाना दृलालगंज, जिला रायबरेली वर्तमान निवासी सुलेमान नगर थाना सुल्तानपुर दिल्ली उम्र 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग विवरण--

1. मु0अ0सं0 273/2024 धारा 177, 408,420, 467,468,120बी0 भा0द0वि0 थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 38 लाख 50 हजार रूपये
2. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट DLSCM0326
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0 DL4SDQ8927